न्यायक प्रतालय 16/24
मुकदमा नम्बर .... बनाम
नाम कैलाश / सावित्री

प्रति—हस्ताक्षरित
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

न्यायालय-अपर जिला न्यायाधीश नोखा, (पारिवारिक न्यायालय) बीकानेर

पीठासीन अधिकारी: मुकेश कुमार प्रथम (आरजे 00693)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दीवानी (दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना याचिका) **संख्या 16/2024**

1. कैलाश पुत्र मोहनराम निवासी नाथूसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–प्रार्थी

बनाम

1. सावित्री पत्नी कैलाश पुत्री गोपालराम निवासी नाथूसर तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल निवासी लालासर, तहसील नोखा जिला बीकानेर।

-अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम (वास्ते प्राप्त करने डिक्री दाम्पत्य अधिकारों की पुनःस्थापना)

उपस्थिति-
1- विद्वान न्यायमित्र श्री विनायक चितलंगी, प्रार्थी की ओर से।
2- अप्रार्थीया के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक–05.04.2025

1. प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीया का विवाह दिनांक 11.12.2019 को अप्रार्थीया के पिता के घर पर हिन्दू धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। अप्रार्थीया जब पहली बार प्रार्थी के घर आई तो आते ही घर के सभी सदस्यों के साथ झगड़ा करने लगी और दिनभर मोबाईल फोन पर बातें करती रहती जब उसने व उसके घरवालों ने ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्थीया जोर-जोर से शोर मचाने लगती व लड़ाई करने लगती। प्रार्थी के घरवालों ने अप्रार्थीया को अन्य लड़के साथ मोबाईल फोन पर बात करते पकड़ा व अप्रार्थीया के माता-पिता, भाई व परिवार के अन्य लोगों को ओलमा दिया तो अप्रार्थीया के पिता व भाई ने स्पष्ट कहा कि उनकी बेटी ने ऐसा किया है तो इसका सबूत बताओ तो प्रार्थी ने इसका सबूत दिया तो अप्रार्थीया के पिता व भाई ने कहा कि मेरी बेटी तो ऐसे ही करेगी। इसके बाद अप्रार्थीया अपने मायके चली गई और प्रार्थी ने सोचा कि समय के साथ सब सही हो जायेगा। यह सोचकर अप्रार्थीया को अपनाता रहा लेकिन अप्रार्थीया का व्यवहार दिन-प्रतिदिन प्रार्थी के प्रति और क्रूर होता गया। वह फोन पर अन्य नये-नये लड़कों से बात करती रहती। प्रार्थी के घर पर भवन निर्माण का कार्य करने के लिये एक कारीगर धांकल सिंह आया जिसको भी उसने अपना मित्र बना लिया और उसको अपनी चांदी की अंगूठी दे दी। इस बात का पता जब प्रार्थी को चला तो उसने अप्रार्थीया को ऐसा करने

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर) सत्यमेव जयते

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

5.4.25

से मना किया तो अप्रार्थीया उस पर गुस्सा हुई व उसके साथ मारपीट करने लगी। इस बीच प्रार्थी व अप्रार्थीया के नुत्फे से एक लड़का गजेन्द्र दिनांक 16.07.2022 को हुआ। अप्रार्थीया अपने मायके गई हुई थी। करीब एक साल बाद वापिस प्रार्थी के घर आई। वह तीन माह पश्चात् वापिस पीहर गई एवं यह कहकर गई कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। अप्रार्थीया के इस क्रूर व्यवहार को देखते हुए प्रार्थी ने कई बार पंच पंचायती करवाई तो अप्रार्थीया व उसके घरवालों ने कहा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और पंच पंचायती कर वापस अपने घर लेकर आये। प्रार्थी के घर आने के बाद अप्रार्थीया के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और वह पूर्व की भांति मोबाईल फोन पर बातें करती रहती तथा घर का कोई काम नहीं करती और हमेशा फोन पर बातें करती रहती। अप्रार्थीया की दूसरी बहन भी प्रार्थी के छोटे भाई के साथ शादी हो रखी हे जो अपने दाम्पत्य जीवन का पूर्णरूप से निर्वाह कर रही है। प्रार्थी स्वयं व उसकी भाभी व छोटा भाई नैनकराम अप्रार्थीया को लाने ग्राम लालासर गये तो अप्रार्थीया के माता-पिता, भाई व स्वयं अप्रार्थीया ने लडाई झगड़ा किया और धमकी दी कि मेरी पुत्री जो चाहेगी वो करेगी अगर कुछ बोला तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। प्रार्थी इतना सब कुछ होने पर भी अप्रार्थीया के साथ अपना घर बसाना चाहता है ताकि उसके पुत्र को पिता का संरक्षण मिले और पिता का प्यार मिले लेकिन अप्रार्थीया ने प्रार्थी के साथ घर बसाने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थीया ने बिना किसी कारण प्रार्थी को अपने दाम्पत्य सुख से वंचित कर रखा है और अप्रार्थीया प्रार्थी की पत्नी होने के बावजूद भी वैवाहिक दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं कर रही है जिस पर प्रार्थी को वाद हैतुक प्राप्त हुआ। अंत में प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होना एवं पूर्ण न्यायशुल्क पर होना बताते हुए पक्षकारान के मध्य कोई दुर्भिसंधि नहीं होना बताया तथा अप्रार्थीया के विरूद्ध दाम्पत्य सम्बन्धों की पुर्नस्थापना डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थीया प्रार्थी के साथ उसके घर आकर दाम्पत्य अधिकारों का निर्वहन करे।

2. अप्रार्थीया के बावजूद तामिल न्यायालय में स्वयं अथवा उसकी ओर से कोई अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीया के विरूद्ध दिनांक 10.12.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या प्रार्थी इस आशय की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थीया सावित्री उसकी वैध विवाहिता पत्नी है और उसने जानबूझकर अपने दाम्पत्य अधिकारों का त्याग कर रखा है?

4. एकपक्षीय साक्ष्य प्रार्थी में एडब्ल्यू-1 कैलाश का शपथ पत्र पेश हुआ जिसका परीक्षण हुआ। जिसने प्रलेखीय साक्ष्य में विवाह विच्छेद हेतु आवेदन दिनांक 01.03.2024 प्रदर्श ए-1, आधार कार्ड की नकल प्रदर्श-ए-2 ए, मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र प्रदर्श ए-3, शादी के कार्ड की प्रति प्रदर्श ए-4 ए, पत्नी के आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श ए-5 ए, शादी के फोटोग्राफ प्रदर्श ए-6 ए लगायत प्रदर्श ए-8 ए को प्रदर्शित करवाया।

5. इस विचारणीय बिंदु के संबंध में एडब्ल्यू-1 कैलाश ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 11.12.2019 को उसका विवाह अप्रार्थीया सावित्री के साथ ग्राम लालासर तहसील नोखा जिला बीकानेर में हिन्दू धार्मिक रीतिरिवाज के अनुसार साधारण तरीके से बिना दान दहेज के सम्पन्न हुआ जिसमें उसके परिवारजन ने अप्रार्थीया को जेवर आदि भेंट स्वरूप दिये। उनके दाम्पत्य जीवन से एक लड़का गजेन्द्र दिनांक 16.07.2022 को हुआ। अप्रार्थीया प्रार्थी व उसके परिवार के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर झगड़ा फसाद करती और घरेलू काम नहीं कर सदैव मोबाईल

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

5.4.25

फोन पर बातें करती रहती। दिनांक 23.12.2013 को वह बिना बताये घर से सारे गहने लेकर अपने माता पिता के पास पीहर चली गई जिसकी सूचना अप्रार्थीया ने उसको मोबाईल फोन से दी। अगले दिन दिनांक 24.12.2013 को वह अप्रार्थीया के पिता के घर गया तो अप्रार्थीया, उसके माता-पिता ने लड़ाई झगड़ा व मारपीट पर उतारू होकर प्रार्थी के साथ रहने से इन्कार कर दिया। शादी के संबंध में प्रार्थीया ने पत्रावली में शादी का कार्ड व तीन फोटोग्राफ भी पेश किये हैं।

6. अप्रार्थीया के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रार्थी के उक्त कथनों का खण्डन न्यायालय के समक्ष नहीं हो सका है।

7. इन समस्त तथ्यों पर विचारोपरांत यह साबित है कि अप्रार्थीया सावित्री प्रार्थी कैलाश की वैध विवाहिता पत्नी है व उसने अपने पति का अकारण त्याग कर रखा था। ऐसे में त्याग करने के कोई उचित आधार अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत नहीं हुए। ऐसे में प्रार्थी वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

8. अतः प्रार्थी कैलाश पुत्र मोहनराम निवासी नाथूसर तहसील नोखा जिला बीकानेर की ओर से अप्रार्थीया सावित्री पत्नी कैलाश पुत्री गोपालराम निवासी नाथूसर तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल निवासी लालासर, तहसील नोखा जिला बीकानेर के विरूद्ध प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम एकपक्षीय स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि अप्रार्थीया सावित्री जो प्रार्थी कैलाश की वैध विवाहिता पत्नी है। जिसने प्रार्थी का अकारण त्याग कर दाम्पत्य अधिकारों से वंचित कर रखा था, वह अब प्रार्थी के दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना करें। तदनुरूप डिक्री पर्चा तैयार किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वंय वहन करेंगे। आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रार्थी को दी जावे एवं अप्रार्थीया को आदेश की एक प्रति निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक से उसके पते पर भिजवाई जावे।

5.4.25

मुकेश कुमार प्रथम (आरजे 00693)

9. निर्णय आज दिनांक 05.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.4.25

मुकेश कुमार प्रथम (आरजे 00693)

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते नोखा (बीकानेर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

A4
5

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, नोखा

डिक्री पर्चा

पीठासीन अधिकारीः—श्री मुकेश कुमार—प्रथम, (आरजे00693)

विविध दीवानी(विवाह विच्छेद याचिका संख्या 16 सन् 2024

सीआईएस सं0 16/2024

कैलाश पुत्र मोहनराम निवासी नाथूसर नोखा जिला बीकानेर।

प्रार्थी

सावित्री पत्नी कैलाश पुत्री गोपालराम निवासी नाथुसर तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल निवासी लालासर, तहसील नोखा जिला बीकानेर।

अप्रार्थिनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 बाबत वास्ते प्राप्त करने डिक्री दाम्पत्य अधिकारें की पुनः स्थापना

उपस्थितः—

1 विद्वान न्यायमित्र श्री विनायक चितलंगी, प्रार्थी की ओर से।

2 अप्रार्थिनी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रार्थी **कैलाश पुत्र मोहनराम निवासी नाथूसर नोखा जिला बीकानेर की ओर से सावित्री पत्नी कैलाश पुत्री गोपालराम निवासी नाथुसर तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल निवासी लालासर, तहसील नोखा जिला बीकानेर** के विरूद्ध प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 9 हिन्दु विवाह अधिनियम एकपक्षीय स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि अप्रार्थिनी सावित्री जो प्रार्थी कैलाश की वैध विवाहिता पत्नी है, जिसने प्रार्थी का अकारण त्याग कर दांम्पय अधिकारो से वंचित कर रखा था, वह प्रार्थी के दाम्पत्य अधिकारो की पुर्नस्थापना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेगें। डिक्री पर्चा बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.04.2025 को जारी किया गया।

अपर जिला न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय
नोखा बीकानेर

प्रार्थिनी/प्रथम पक्ष	रूपया	पैसे	अप्रार्थी/द्वितीय पक्ष	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा	20	0	स्टाम्प अपील	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	1/—	0	स्टाम्प वकालतनामा	0	0
महनताना वकील	0	0	महनताना वकील	0	0
बाबत् इजराय हुक्मनामा	20	0	बाबत् इजराय हुक्मनामा	0	0
योग	41/—	0	योग	0	0

अपर जिला न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय
नोखा बीकानेंर

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर)
सत्यमेव जयते

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)